कलाराम बनाम सरकार
राजस्व अपील संख्या 83/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
18.04.2023	विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत साथ ही एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत वादग्रस्त आराजी ग्राम उनडी क खसरा नंबर 20 रकबा 2.16 हैक्टेर के सबंध में प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा प्रदान कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया गया है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का वर्ष 1985 यानि विगत 35 से 36 वर्षो से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने के कारण अपीलांटगण द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान मे वर्ष 2001 मे भूमि आवंटन का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। तब उक्त वादग्रस्त आराजी को आदेश क्रमांक/2001/1976 दिनांक 30.12.2001 द्वारा ग्रम उनडी के खसरा नबर 20 रकबा 2.16 हैक्टेर किस्म बारानी दोयम का आवंटन अपीलांटगण के पक्ष मे किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 07.04.2022 किस्म गैरमुमकिन खातेदारी के रूप मे. अपीलांटगण के नाम खातेदारी भूमि के रूप मे दर्ज की गई। दिनांक 10.08.2021 को अपीलांटगण वादग्रस्त आराजी पर पटवारी हल्का उनडी द्वारा काश्त करने से मना कर यह कहा कि उक्त भूमि आवंटन आगामी प्रशासन गांवो क संग अभियान के दौरान	

राजस्व अपील प्राधिकारी

किसी ओर को आवंटन करने का तय किया गया है। भूमिहीन होने के कारण उक्त भूमि अपीलांटगण को अपना भरण–पोषण हेतु परिवार के जीवीकोपार्जन हेतु आवंटन की गई थी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का कब्जा काश्त है। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी से अपीलांटगण को बेदखल करने पर आमादा है। अगर वे ऐसा करने मे कामयाब हो गये तो इससे अपीलांटगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अत प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा उनडी के खसरा नंबर 20 रकबा 2.16 हैक्टेर किस्म बारानी दोयम मे न तो स्वंय दखलदांजी करे एव न किसी अन्य से करावे। अपीलांट के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे एवं न किसी अन्य से करावे।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी सरकारी खाते मे राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है। अपीलांटगण का वादग्रस्त आराजी पर कोई कब्जा काश्त नही है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी को आदेश क्रमांक/2001/1976 दिनांक 30.12.2001 द्वारा ग्राम उनडी के खसरा नबर 20 रकबा 2.16 हैक्टेर किस्म बारानी दोयम का आवंटन अपीलांटगण के पक्ष मे किया गया एवं नामान्तरकरण संख्या 217 दिनांक 07.04.2022 किस्म गैरमुमकिन खातेदारी के रूप मे अपीलांटगण के नाम खातेदारी भूमि के रूप मे दर्ज की गई। हालांकि वादग्रस्त आराजी के संबध मे हक–हकूक अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष विचाराधीन वाद मे तय होगे। किन्तु अगर इस दौरान वादग्रस्त आराजी से अपीलांट को

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

बेदखल किया जाता है तो इससे निश्चय ही वाद–बाहुल्यता बढेगी। जिसे रोका जाना उचित प्रतीत होता है। अत प्रकरण मे रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा मूल वाद तक इस कदर जारी की जाती है कि अपीलांटगण के कब्जे काश्त की वादग्रस्त आराजी सरहद मौजा उनडी के खसरा नंबर 20 रकबा 2.16 हैक्टेर किस्म बारानी दोयम मे न तो स्वंय दखलदांजी करे एव न किसी अन्य से करावे। सहायक कलक्टर सायला को निर्देशित किया जाता है कि आपके समक्ष विचाराधीन प्रार्थना पत्र मे उभयपक्ष को सुनवाई का अवसर देकर विधिसम्मत आदेश पारित करे। अपीलांट के उपयोग–उपभोग मे किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न न करे एवं न किसी अन्य से करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल द्फतर हो।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली